(c) if so, the report of the enquiry and what decision Government have taken thereon?

The Minister of International Trade (Shri Manubhai Shah): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The report of the Committee of Enquiry is awaited.

Cement Factories in M.P.

279. Shri Birendra Bahadur Singh: Will the Minister of **Steel and Heavy Industries** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the parties who had been granted licences for the setting up of four cement factories in Madhya Pradesh during the Third Plan period have made no substantial progress;

(b) the present position regarding them; and

(c) whether Government contemplate to cancel the licences for lack of progress?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Heavy Industries (Shri P. C. Sethi): (a) to (c). So, far, only one licence has been issued for setting up a cement factory in Madhya Pradesh. This licence has been granted to Messrs. Associated Cement Companies Ltd., for setting up a slag cement factory at Jamul near Bhilai. The factory is expected to be commissioned by the middle of 1964.

2. Letters of approval were issued at various times to (i) Messrs. Hasimara Industries Ltd., Calcutta; (ii) Shri Mohanlall Nopany, Calcutta; (iii) Shri Nagin S. Shah, Bombay and (iv) Messrs. Kohli Finance Ltd., New Delhi, for setting up cement factories in Madhya Pradesh at Itarsi, Akaltara, Bhanpura and Silyari respectively. Owing to lack of progress, the letters of approval in the first three cases have already been cancelled. The The fourth scheme for setting up a slang cement factory at Silyari near Raipur has made some progress; the site has been finalised, mining lease obtained and a new company registered. Efforts are being made to expedite the completion of this project in the Third Five Year Plan.

कपास सलाहकार समिति की बैठक

२८०. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपास सलाहकार समिति की बाईसवीं बैठक समाप्त हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उस ने क्या क्या सुझाव दिये हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य अन्तर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की उस २२वीं पूर्ण बैठक का उल्लेख कर रहे हैं जो अप्रैल-मई, १९६३ में बंगलौर में हुई थी। इस समिति ने कोई भी सिफारिशें नहीं कीं, वरन् कुछ प्रस्ताव पास किये थे जिन में विभिन्न समितियों और उप समितियों में हुई चर्चा के अन्त में जो परिणाम निकले वे दिये गये हैं। अधिक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये थे :—

(१) कपास का उपभोग बढ़ाने तथा इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय एवं अन्य साधन उपलब्ध कराने के लिये सामूहिक प्रयत्न किये जाने चाहियें।

(२) कपास उत्पन्न करने वाले देशों की सरकारों से निवेदन किया जाना चाहिये कि वे कीड़ों तथा बीमारी नियंत्रण से सम्बन्धित कानून के बारे में जानकारी भेजा करें।

(३) स्थायी समिति को अन्तर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की २३वीं पूर्ण बैठक के सामने इस पर भी विचार करना चाहिये कि क्या चाय रखने वाले सदस्य देशों की एक बैठक बुलाना वांछनीय होगा

जिस में कपास के उपभोक्ता एवं उत्पादक देशों की उपयुक्त कपास संस्थाओं से बातचीत की जा सके । इस प्रकार की बैठक का एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि वर्तमान कार्यक्रम जिस में विशेषत: लम्बे रेशे वाली कपास भी शामिल है, को ध्यान में रखते हुए संवर्धन तथा उस के बाजार संबंधी गवेषणा कार्य के लिए और अधिक साधन जुटाने के उपायों तथा ढंगों पर विचार किया जा सके ।

अजमेर में घड़ियां बनाने का कारखाना

२८१. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार अजमेर में घड़िया बनाने का कारखाना खोलने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विदेशी सहायता से बनाया जा रहा है, और

(ग) क्या यह कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा या गैर-सरकारी क्षेत्र में होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). अजमेर में सरकारी या निजी किसी भी क्षेत्र में घड़ी बनाने का कोई कारखाना खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

शिमला के पास घड़ियां बनाने का कारखाना

२८२. **श्री ओंकारलाल बेरवा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिमले के पास ४० मील की दूरी पर घड़ियां बनाने का कारखाना खोला गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कारखाना किसी गैर-सरकारी कम्पनी का है या सरकार का ;

(ग) क्या इसके लिये विदेशी सहायता भी ली गई है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी और किससे ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). शिमला के निकट सोलन में घड़िया बनाने का एक निजी कारखाना खोला गया है ।

(ग) और (घ). इसके लिये कुछ भी विदेशी सहायता नहीं ली गई है ।

बड़ौदा में बाल बेयरिंग का कारखाना

२८३. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा में बाल बेयरिंग का कारखाना खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने पर कितनी लागत आयेगी

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ;

(घ) क्या यह विदेशी सहयोग से स्थापित किया जायेगा ; और

(ङ) इसकी वार्षिक क्षमता क्या होगी ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) कारखाने की अनुमानित लागत २२.७ मिलियन रुपये है ।

(ग) फर्म के १९६४ में उत्पादन शुरू करने की संभावना है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) इसकी वार्षिक क्षमता ७.४ मिलियन बेयरिंग होगी ।